नगरपालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर

सूचना

का

अधि ... 005

कार्यालय नगरपा ... नरसिंहपुर म0प्र0

प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है । और उसे जनता के लिये जनता के द्वारा संचालित किया जाता है । भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्वांत पर

आधारित है । शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिष्चित करने के लिये नागरिको द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है । संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुये प्रतिनिधि की इüछा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन वा नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है । यह तभी संभव है जब नागरिकों को शासन वा उसके अधीन समस्त प्रषासनिक इकाईयों के क्रियाकलापों कि उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की षक्ति प्राप्त हो जो उनसे जुड़ी है । या जो जनहित में आवश्यक है ।

इन उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक-3 सन2003 परित किया व अब केंद्ª शासन द्वारा सूचना का अधिकार नियम 2005 प्रभावषील किया गया है ।

नगर पालिका नरसिंहपुर मध्यप्रदेष नगर पालिका अधिनियम 1961 के अतंर्गत गठित एक नियमित निकाय है । एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ``लोक प्राधिकारी`` है । नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुये है । अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा - 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार कि गई है।

इस हस्त पुस्तिका में अंकित सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख कि प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये इस निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् गोटेगांव

अध्याय -एक

संगठन की विर्निदिष्टयां कृत्य एवं कर्तव्य

नगर पालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर की स्थापना वर्ष 1907 में की गई । वर्तमान में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्तव्यों को सम्पादित कर रही है ।

परिषद के मुख्य कर्तव्य व कार्यो का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विर्निदिष्ट है । जो निम्नानुसार है -

(क) सार्वजनिक पथों स्थानों को प्रकाशित करना।

(ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राईवेट सम्पत्ति ना हो और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में नहित हों या न हों हानिकारक घारापात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपषमन करना।

(ग) विष्ठा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना ।

(घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दषा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना।

(ड़) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपशमन करना।

(च) सार्वजनिक पथों या ऐसे स्थानों से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राईवेट सम्पत्ति न हों

(और जो सर्वसाधारण के उपयोग के लिए खुले हों,भले ही ऐसे स्थल परिषद, में निहित हों या राज्य संस्कार में निहित हों,वाधाओं तथा प्रघोषित भागों को हटाना)।

(छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिये स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना।

(ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्ठि के लिये ऐसे विषेष उपाय करना जो विहित प्रधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निर्देष देने के लिये सषक्त किसी अन्य प्रधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जायें।

(झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्य परिक्षेत्रों का पुनरूद्वार करना .

(ल) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा-चिन्हों-गलियों-हाटों-वध शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियां मल - नालियां जल निकास-संकर्मा, मलनाली से संबधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों,

पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं बांधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मों का निमार्ण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना।

(ट) कांजी हाऊसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहां पशु अतिसार अधिनियम 1871 (1871 का सं. 1) प्रवर्तन में हों वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना ।

(छ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पषुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिये उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय की जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से परिक्षण करना ।

(ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्यांकित करना ।

(ढ) जन्म,विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना ।

(ण) सार्वजनिक टीके लगाना ।

(त) किन्ही भी ऐसें बछड़ों, गायों या भैसों के लिये जो पषु ठीक (लिम्फ) के प्रदाय के लिये नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना ।

(थ) पषुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अंतरालों से जो विहित किये जायें कृषि उपयोगी पषुओं की गणना।.

(द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों ।

(ध) नगर पालिका के प्रषासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विषेष आदेष द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिये परिषद से अपेक्षा करे ।

(न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में जिसका कलेक्टर द्वारा अनुबोधन किया जाये मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन की परिनिष्चित करते हों ।

(भ) परिषद के सफाई कर्मचारी वृंद के लिये आवासगृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(फ) माध्यमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना ।

इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद के अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न नियमों के लिये नगर पालिका की स्थायी व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है ।

धारा 124 (क) से (फ)

(क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्वार करना, ऐसे क्षेत्रों जिनमें पूर्व में निमार्ण हुआ हो या नहीं - नये सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित करना जिसमें ऐसे मार्गो से सस्पर्षी भवन के लिये भू- खण्ड सम्मिलित होंगे ।

(ख) सार्वजनिक पार्कों उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखाना, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना,उनकी स्थापना करना या अनुरक्षण करना।

(ग) षैक्षणिक उद्येश्यों को अग्रसर करना ।

(घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(ड) सार्वजनिक पथों तथा अन्य स्थानों पर जल छिड़कना ।

(च) चैराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना ।

(छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिये जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु जिससे जन्म - मृत्यु संबंधी आकड़ों का ठीक-ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरूस्कार देना ।

(ज) सर्वेक्षण करना ।

(झ) किसी बैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाये रखने के लिये अनुपातिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्ही भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना .

(ल) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना इनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवर्थ किसी भी अन्य अधिनियमति के अधीन विनाष किया जा सकता हों या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हो ।

(ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना ।

(ठ) प्राईवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिये उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल - नाली में इकटठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिये पाईपों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधनों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(ड) मल मूत्र के व्यसन के लिऐ फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना ।

(ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिये किये जाने वाले कार्यो कि अभिवृद्वि करना ।

(ण) सफाई कर्मचारी वृंद से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करें ।

(त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वӧछ निवासगृह का निर्माण करना ।

(थ) पुस्तकालयों तथा संग्राहलयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयो, औषधालयों या इसी प्रकार की संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हों या सामाजिक कार्य में लगी हों या पूर्व प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना।

(द) चारागाह व चराई के स्थान का अर्जन करना तथा उसका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजन्न सांड रखना तथा उनका पालन पोषण करना।

(ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायरे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरिया या फार्मा की स्थापना करना।

(ग) विशपत ग्रहिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, सघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध पूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना ।

(प) मांसगृह तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना ।

(फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार गृह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहां खाद्य तथा पेय पदार्थ दिये जाते हों ।

(ब) शेटों, छप्परों (बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नानगृहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(म) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना।

(भ) ऐसी सड़कों तथा ऐसे भवनों काऔर सिंचन संकर्मो से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मो का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद का अंतरित कर, निर्माण करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(य) राज्य सरकार द्वारा अनुपादित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर पालिका क्षेत्र में रहते हों या नगर पालिका क्षेत्र से हटाये गये हों, भरणपोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना।

(कक) पागलों, कुष्ठरोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी (एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने,

कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में, चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना ।

(गग) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगाना।

(घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(डड) नगर पालिका के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह, उत्सव, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इसे चिहित की गई हो, परन्तु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मेलन मेंएक संकल्प पारित कर दिया जाए -

(चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हो ।

(छछ) चिकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना ।

(जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, और

(झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है ।

(फफ) भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण ।

(टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना ।

(ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि ।

(ड.ड.) समाज के दुर्बल वर्गो में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा ।

(ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

नगर पालिका के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्तव्य

1. सामान्य प्रशासन विभाग- लोक प्रधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है । उसके प्रमुख कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार है:-

प्रशासन:-

1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था ।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन ।
3. कार्यालयीन पत्र व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।
4. रिकार्ड पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण ।
5. परिषद, पेरासीडेन्ट इनकौंसिल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृती का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को पेराषित ।
6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण ।
7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन ।

लेखा:-

1. निकाय के करों, शुल्कों, अनुज्ञा शुल्कों व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जांच कर प्रापत कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना ।
2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जांचकरना व सुनिश्चित करना कि, सम्पादित कार्य/कथ या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है । बजट प्रावधान है, स्टाक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना ।
3. मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विर्निदिष्ट अधिकारियों को भेजना ।
4. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना ।
5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतों, अग्रिमों के लेखों का संधारण ।
6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समसत राशियों को लेखाओं का संधारण ।
7. जन सहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्रापत राशियों का लेखा निर्धारण प्रारूप रजिस्टर में रखना ।
8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण ।
9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण ।

2. राजस्व विभाग- प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कत्र्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्कों, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्कट्स,

स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथ भूमि किराया प्रीमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कत्र्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं:-

1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश कर, शिक्षाकर, एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना ।

3. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग

2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना ।
3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुकों की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना ।
4. राजस्व विभग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जांच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।
5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना ।
6. नगर पालिका मार्केट, दुकानें, भूमि व अन्य सम्पत्ति के आबंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डरों आदि की कार्यवाही/अधिनियम व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना ।
7. बकाया करों व शुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचना पत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना ।
8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण ।
9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रकों में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना ।

लोक प्राधिकरण के इस विभाग कादायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाऐं बिमारियों की रोकथाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, डेनेज व नालीयों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है । इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना है ।

1. जन-स्वास्थ्य के लिये बेक्सीनेशन की व्यवस्था ।
2. महामारी के समय प्रबिबंधात्मक उपाय, दवाईयों का विवरण व चिकित्सीय व्यवस्था ।
3. पशुवध गृह, होटलों आदि का निरीक्षण ।

4. खाद्य पदार्थो व पेय पदार्थो की जांच ।
5. नगरीय क्षेत्र की सड़कों, नालों व नालीयों की सफाई ।
6. सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों (शुलभ शौचालयों) का निर्माण ।
7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन ।
8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रख-रखाव व वृक्षारोपण
9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण ।

4. लोक निर्माण विभाग :- अधिकरण के इस विभाग के निम्नकार्य व कर्तव्य हैं -

1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो का सम्पादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।
2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना ।
3. जन सुरक्षा की दुष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने ।
4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरूद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरूद्ध विधनांतर्गत कार्यवाही करना ।

5. जनकार्य विभागः- प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्तव्य व कार्यो को सम्पन्न करना है -

1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था - इन्टेकबैल - फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण ।
2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन ।
3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण ।
4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टेंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना
5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण ।
6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्त्रोतों, तालाबों, कुंओं आदि का संधारण ।

6. कर्मशाला विभागः- इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनों व पम्पों आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही

वाहनों के लिये चालक,परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थिति, अवकाश आदि का नियंत्रण भी

7. **शिक्षा विभागः-** **शिक्षा विभाग के कार्य -**

1. **बाल मंदिरों की स्थापना व संचालन ।**
2. **झूलाघरों की स्थापना व संचालन ।**
3. **म.प्र. नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ते) नियम 2005 के प्रावधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति ।**

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 2

प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियां

''क''

कं	प्राधिकारी	नगरपालिका	नगरपरिषद्
1	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	रूपये एक लाख तक	रूपये पचास हजार तक
2	अध्यक्ष	रूपये एक लाख से अधिक परन्तु रूपये पाँच लाख से अधिक नहीं	रूपये पचास हजार से अधिक परन्तु रूपये दो लाख से अधिक नहीं
3	प्रेसीडेन्ट–इन–कौंसिल	रूपये पाँच लाख से अधिक परन्तु रूपये बीस लाख से अधिक नहीं	रूपये दो लाख से अधिक परन्तु रूपये दो लाख से अधिक नहीं
4	नगरपालिका परिषद्	रूपये बीस लाख से अधिक परन्तु रूपये तीन करोड़ से अधिक नही	रूपये दस लाख से अधिक परन्तु रूपये एक करोड़ से अधिक नहीं
5	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	रूपये तीन करोड़ से अधिक परन्तु रूपये पच्चीस करोड़ से अधिक नहीं	रूपये एक करोड़ से अधिक परन्तु रूपये पच्चीस करोड़ से अधिक नहीं
6	राज्य सरकार	रूपये पच्चीस करोड़ से अधिक	रूपये पच्चीस करोड़ से अधिक

ख

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

विभाग	पदाधिकारी का नाम	पद	कर्तव्य	शक्तियां यदि कोई प्रदाय की गई हो	
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अध्याय – 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसका पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

परिषद

प्रेषककर्ता :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा पीआईसी के अनुमोदन से

निर्णयकर्ता :- परिषद एवं प्रेसीडेन्ट-इन-काउन्सिल

अपील / पुनरीक्षण :- शासन

परिषद एवं प्रेसीडेन्ट-इन-काउन्सिल

प्रेषककर्ता :- मुख्य नगर पालिका अधिकारी

निर्णयकर्ता :- प्रेसीडेन्ट-इन-काउन्सिल

अपील/पुनरीक्षण :- परिषद / आयुक्त

क्र	विभाग	प्रकरण अभिकर्ता / कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	नगरपालिका परिषद गोटेगांव जिला नरसिंहपुर	श्री कमलेश पटैल सहा0राज0 निरीक्षक	लोकसूचना अधिकारी एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अध्यक्ष	प्रेसीडेंट इन काउंसिल

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 4

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्‌वारा निर्धारित मानदंड/ प्रतिमान

क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदंड एवं समय सीमा निर्धारित की गई है ।

सिटीजन चार्टर

ख. कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण / लक्ष्य (Quantity Target)

1	करो की वसूली के लिये –	वित्तीय वर्ष की शत–प्रतिशत
2	योजना के कार्यों के लिये –	अंकित समय सीमा
3	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य –	शत–प्रतिशत

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 5

नगरपालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों / नियोजितों के द्वारा उपयोग की गई , नियमों , विनियमों , अनुदेशों मेन्अुल्स और अभिलेख ।

- अधिनियम -

- म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961
- अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम ।
- म0प्र0 मूलभूत नियम ।
- म0प्र0 सिविल सेवा पेंशन नियम 1971
- म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966।
- म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम 1955
- म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965
- म0प्र0 भूमि विकास नियम
- केवल देरापारा एक्ट
- नगरपालिका द्वारा बनाई गई उपविधियां

- परिपत्र
- म0प्र0 सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
- नगर प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय , नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय– छैः

ऐसे दस्तावेजो के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो का विवरण

क्रं0	दस्तावेजों का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैंठक कार्यवृत्त	संधारित की जाती है
2	(क) परिषद (ख) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	संधारित की जाती है
3	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	संधारित की जाती है
4	स्टॉक तथा भण्डार पंजिया	पंजी	क्रय की गई सामग्री का विवरण	संधारित की जाती है
5	अचल सम्पत्ति की पंजी	रजिस्टर	नगर परिषद की अचल संपत्ति	संधारित की जाती है
6	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों की भविष्य निधि की जानकारी	संधारित की जाती है
7	जन्म मृत्यु तथा विवाहो की पंजी	रजिस्टर	जन्म/मृत्यु /विवाह संबंधी जानकारी	संधारित की जाती है
8	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	32 वर्ष
9	रोकड़िया रोकड़	रोकड़िया रोकड़	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी /प्रतिनियुक्ति	25 वर्ष
11	स्थायी अग्रिम लेखा	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	25 वर्ष
12	नगर पालिका रोकड़	रजिस्टर	आय व्यय की जानकारी	25 वर्ष
13	प्राप्तियों की संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	25 वर्ष
14	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	25 वर्ष
15	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	25 वर्ष
16	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	25 वर्ष
17	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	25 वर्ष
18	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	12 वर्ष
19	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	12 वर्ष
20	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋणो की जानकारी	12 वर्ष
21	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके	संपत्ति कर	संपत्ति कर की जानकारी	12 वर्ष
22	समस्त फीस पंजिया	रजिस्टर	लायसेंस फीस	12 वर्ष
23	कांजीहोस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पंजी	कांजीहौस की जानकारी	12 वर्ष
24	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	12 वर्ष
25	चालान, विविध बि व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म व बुके	वसूली व जमा की जानकारी	12 वर्ष
26	निर्माण कार्यो के बिल /प्रमाण पत्र व माप पुस्तिका	फार्म व बुके	निर्माण कार्यो संबंधी जानकारी	4 वर्ष

27	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	4 वर्ष
28	बजट अनुमान	प्रपत्र	बजट	4 वर्ष
29	आवेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

अध्याय– सात

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख

1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाले नीति व कार्य उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिए गए निर्णय से किया जाता हैं।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत प्रेसीडेंट इन काउंसिल के गठन का प्रावधान हैं।

(क) प्रेसीडेन्ट–इन–काउन्सिल :–

1. प्रत्येक परिषद के लिए एक प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिवस के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जाएगी।
2. प्रेसीडेंट इन काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा पांच सदस्यों से मिल कर बनेगी।
3. प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होगे जो कि, किए जाए और प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनायें जाऐगे।
5. अध्यक्ष प्रेसीडेंट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेंट इन काउंसिल के सम्मेलनो की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।
6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेंट इन काउंसिल अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियां का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए।

(ख) कृत्य :–

1. प्रेसीडेंट इन काउंसिल कर्त्तव्य नियम 1998 में विहित प्रावधानो के अनुरूप प्रदत्त शक्तियां व व्यय की स्वीकृतियॉ।
2. अधिनियम की धारा 93 (1), 94 (1), 121(1), 126, 160, 168(7), 228, 235, 237, 238, 249, 263(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274 एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार के उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किए जाएं।

4- अधिनियम की धारा 57(1), 61, 62, 71(1), 138, 142(1) तथा 189 ए के अंतर्गत परिषद में वेष्ठित शक्तियों का प्रयोग ।

अध्याय – 8

अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है –

सलाहकार समिति (धारा 71)

सलाहकार समितियों गठन हेतु प्रभारी एवं सदस्य –

01.. आवास एवं पर्यावरण तथा लोकनिर्माण समिति

01.. श्रीमती अंजनी दीपक सोनी (सभापति)
02.. श्रीमती कलावती दीनू छिरा (सदस्य)
03.. श्रीमती वर्षा जगदीश श्रीवास (सदस्य)
04.. श्रीमती नमिता कमल पटैल (सदस्य)
05.. श्री प्रताप ठाकुर राजा (सदस्य)

02.. जल एवं आपूति समिति

01.. श्रीमती संगीता सतीश अग्रवाल (सभापति)
02.. श्रीमती नमिता कमल पटैल (सदस्य)
03.. श्रीमती माया बिहारी चांदोरिया (सदस्य)
04.. श्रीमती वर्षा जगदीश श्रीवास (सदस्य)
05.. श्री मनीष कुमार जैन (सदस्य)

03 स्वास्थ्य एवं अस्पताल समिति

01.. श्रीमती पूजा राजू राजपूत (सभापति)
02.. श्री मनीष कुमार जैन (सदस्य)
03.. श्रीमती वर्षा जगदीश श्रीवास (सदस्य)
04.. श्रीमती माया बिहारी चांदोरिया (सदस्य)
05.. श्री प्रताप ठाकुर राजा (सदस्य)

04 राजस्व एवं बाजार समिति

01.. श्री जितेन्द्र पुरोहित (सभापति)
02.. श्रीमती रजनी राजेन्द्र राय (सदस्य)
03.. श्रीमती माया बिहारी चांदोरिया (सदस्य)
04.. श्रीमती कलावती दीनू छिरा (सदस्य)
05.. श्री प्रताप ठाकुर राजा (सदस्य)

05 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पुनर्वास एवं नियोजन समिति

01.. डॉ0 श्री जितेन्द्र चौबे (सभापति)
02.. श्रीमती कलावती दीनू छिरा (सदस्य)
03.. श्रीमती वर्षा जगदीश श्रीवास (सदस्य)
04.. श्रीमती रजनी राजेन्द्र राय (सदस्य)
05.. श्री मनीष कुमार जैन (सदस्य)

06 शिक्षा , महिला एवं बाल कल्याण समिति

01.. श्रीमती श्रद्धा पंकज चौकसे (सभापति)
02.. श्री मनीष कुमार जैन (सदस्य)
03.. श्रीमती वर्षा जगदीश श्रीवास (सदस्य)
04.. श्रीमती रजनी राजेन्द्र राय (सदस्य)
05.. श्रीमती नमिता कमल पटैल (सदस्य)

07 विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति

01.. श्री दुलीचंद विश्वकर्मा (सभापति)
02.. श्रीमती रजनी राजेन्द्र राय (सदस्य)
03.. श्रीमती नमिता कमल पटैल (सदस्य)
04.. श्रीमती कलावती दीनू छिरा (सदस्य)
05.. श्री प्रताप ठाकुर राजा (सदस्य)

गठन – प्रेसीडेंट इन काउंसिल के विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य 5/3 निर्वाचित पार्षदों को सम्मिलित करते हुये समिति अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया जावेगा ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 9

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका –

अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
श्री सतेन्द्र सालवार	मु.न.पा.अ.	9425466358
सुश्री मिनी विश्वकर्मा	उपयंत्री सिविल	8462849989
श्री सुनील भनारे,	सहा.ग्रे.03	9589365567
श्री धर्मेन्द्र झारिया	सहा0 ग्रेड 03	
श्री कमलेश पटैल	स.रा.नि.	8839476419
श्री परषोत्तम साहू	पम्प अटेंडेंट	::::::::
श्री छोटेलाल साहू	भृत्य	9329096647
श्री धमेन्द्र मेहतर	चौकीदार	9174683622
श्री रंजीत कुमार जैन	स्थायी कर्मी	9300515326
श्री विनीत कुमार त्रिपाठी	स्थायी कर्मी	7987126661
श्री धर्मेन्द्र विश्वकर्मा	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9424642620
योगेश कहार/जगदीश प्रसाद	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9753640898
शरद तिवारी	योजना शाखा	9009888924
श्रीमती अर्चना नौरिया	चौकीदार	:::::::::::::::::::::
श्रीमती कविता श्रीवास	भृत्य	....
श्री गोविंद पाठक	भृत्य	6265646002
विकास राजपूत (योजना सहायक)	दैनिक वेतन भोगी	9926165757
वीरेन्द्र पटैल	दैनिक वेतन भोगी	8770772396
श्री रणजीत सिंह राठौर (जन्म/मृत्यु शाखा)	दैनिक वेतन भोगी	9300520202
श्री सुनील मट्ट्/श्री अनिल कुमार	दैनिक वेतन भोगी	9977568121
श्री विनोद कुमार मेहरा/श्री रामदास मेहरा	दैनिक वेतन भोगी	8959200543
अफसाना बी/फरीद खां	दैनिक वेतन भोगी	9589134092
श्री नरेश शर्मा/श्री महेन्द्र सिंह शर्मा	दैनिक वेतन भोगी	9977706322
यशवंत सिंह लोधी/सरदार सिंह लोधी	दैनिक वेतन भोगी	
अंजना मेहरा/कुंजबिहारी	दैनिक वेतन भोगी	9174963146
श्री लक्ष्मी कहार	जनसेवक	
श्री किशन मट्टू	जनसेवक	6268718780

श्री नजीम खान	जनसेवक	9302597585
श्री संतोष	स्थायी कर्मी	7089462966
श्री फारूख खान	स्थायी कर्मी	6261686708
श्री मुकेश सेन	स्थायी कर्मी	8349326271
श्री हीरा ठाकुर	स्थायी कर्मी	6264970955
श्री मनीष सेन	स्थायी कर्मी	8819042255
श्री मोहन	स्थायी कर्मी	9977923808
श्री गोपाल सेन	स्थायी कर्मी	9301536450
श्री जितेन्द्र मेहरा	स्थायी कर्मी	9644264833
श्री इकबाल खान	स्थायी कर्मी	7566828254
श्री दिनेश राजपूत	स्थायी कर्मी	9302242458
श्री रामप्रसाद मेहरा	स्थायी कर्मी	
श्री चन्द्रभान ठाकुर	स्थायी कर्मी	7828865959
श्री संतोष श्रीवास्तव	स्थायी कर्मी	9399013611
श्री पुष्पेन्द्र गौंड/श्री हेमराज गौंड	दैनिक वेतन भोगी	9285462309
श्री ज्ञानचंद/कन्हैयालाल	दैनिक वेतन भोगी	
श्री श्रीकांत/तारापत	दैनिक वेतन भोगी	9309864740
श्री कृष्णकुमार उर्फ किशोरी/छेदीलाल	दैनिक वेतन भोगी	
रहमान/नेकदिल	दैनिक वेतन भोगी	7879736813
रिंकू मेहरा/हरिराम मेहरा	दैनिक वेतन भोगी	9302042342
श्री संतोष कुमार सोनी/श्री चेतराम सोनी	दैनिक वेतन भोगी	9993505906
शारदा सेन/हल्के सेन	दैनिक वेतन भोगी	7999640415
रामप्रसाद/रामदयाल	दैनिक वेतन भोगी	
श्री कृष्णकांत भनारे/श्री चिरोंजीलाल भनारे	दैनिक वेतन भोगी	9516989910
श्री दीपचंद कहार/सुरेश चंद कहार	दैनिक वेतन भोगी	
दयाराम मेहरा/सोबरन सिंह मेहरा	दैनिक वेतन भोगी	9907416601
दीपक श्रीवास्तव/कृष्णकुमार	दैनिक वेतन भोगी	7828485190
रामजी पटैल/कोदूलाल पटैल	दैनिक वेतन भोगी	
यशवंत बाल्मीक/लक्ष्मन बाल्मीक	दैनिक वेतन भोगी	
श्री आनंद कहार/गिरधारी कहार	दैनिक वेतन भोगी	9301624130
श्री योगेश यादव/श्री प्रकाश	दैनिक वेतन भोगी	7471164060
शरद अग्रवाल/जगदीश प्रसाद	दैनिक वेतन भोगी	9301641352
राकेश/दिनेश सिंह	दैनिक वेतन भोगी	
बसंत/मिश्रीलाल	दैनिक वेतन भोगी	
श्री उमेश	स्थायी कर्मी	8226026140

श्री सुरेन्द्र	स्थायी कर्मी	
श्री बेनीसिंहराजपूत	स्थायी कर्मी	931536499
श्री जितेन्द्र	स्थायी कर्मी	
श्री हरिओम/लालचंद	दैनिक वेतन भोगी	
श्री विनय/तेजीलाल	दैनिक वेतन भोगी	
मनीष/धनराज	दैनिक वेतन भोगी	9691533613
प्रकाश यादव/मंगल सिंह	दैनिक वेतन भोगी	9303621477
विनय कुमार/रमेश कुमार	दैनिक वेतन भोगी	
श्री सूरज	स्वच्छता पर्यवेक्षक	9826547254
श्री रामनाथ	स्वच्छता पर्यवेक्षक	9300723689
श्री गनेश	जनसेवक	
श्री गयाप्रसाद	जनसेवक	7441114245
श्रीमती मुन्नी बाई	जनसेवक	
श्री कन्हैयालाल	जनसेवक	
श्री रविकुमार	जनसेवक	
श्री लक्ष्मण सिंह	जनसेवक	
श्री बबलू मेहतर	जनसेवक	
श्री तारांचद मेहतर	जनसेवक	
श्री धीरज	स्थायी कर्मी	
श्रीमती ममता	स्थायी कर्मी	
श्रीमती निर्मला	स्थायी कर्मी	9644638922
श्री विजय	स्थायी कर्मी	
श्री सेवक	स्थायी कर्मी	8949264089
श्री ब्रिजेश	स्थायी कर्मी	6264206961
श्री नेतराम	स्थायी कर्मी	9285047520
श्री हल्के	स्थायी कर्मी	9669220173
श्रीमती प्रभा	स्थायी कर्मी	
श्री विनोद	स्थायी कर्मी	
श्री प्यारेलाल	स्थायी कर्मी	9644885099
श्री लक्ष्मी	स्थायी कर्मी	9109528537
श्री फूलसिंह	स्थायी कर्मी	8982652868
श्री विनोद	स्थायी कर्मी	
श्री प्रकाश	स्थायी कर्मी	
श्री मनोज	स्थायी कर्मी	
श्री सतेन्द्र	स्थायी कर्मी	6263362317

श्री संजूउर्फ धमेन्द्र	स्थायी कर्मी	9300683930
श्री उमाशंकर	स्थायी कर्मी	7489941309
श्री रमेश	स्थायी कर्मी	9171899380
श्री बालाप्रसाद	स्थायी कर्मी	
श्री पवन	स्थायी कर्मी	8817391164
श्रीमती इन्द्रा	स्थायी कर्मी	
श्री दिनेश	स्थायी कर्मी	
श्री अनिल	स्थायी कर्मी	
श्री कन्हैयालाल	स्थायी कर्मी	
श्री मिथुन	स्थायी कर्मी	
श्री अमित	स्थायी कर्मी	8435179998
श्री अरविंद	स्थायी कर्मी	
श्री करण	स्थायी कर्मी	6266710596
श्री मनीष	स्थायी कर्मी	8225999098
श्री परसोत्तम	स्थायी कर्मी	8225877837
श्री ओंकार	स्थायी कर्मी	
श्री कुंदन	स्थायी कर्मी	
श्री खेमचंद	स्थायी कर्मी	
श्रीमती भागवती/शालकराम	दैनिक वेतन भोगी	
श्रीमती कविता/कन्हैया	दैनिक वेतन भोगी	
श्री संजू/विशाल	दैनिक वेतन भोगी	7987412742
श्री मोहन/मानक	दैनिक वेतन भोगी	
श्री हीरालाल/छोटेलाल	दैनिक वेतन भोगी	
श्री द्वारका/गोकल	दैनिक वेतन भोगी	
मनोज/रमेश	दैनिक वेतन भोगी	
श्री बेनी/अशोक	दैनिक वेतन भोगी	
श्रीमती रेखा/मनोज	दैनिक वेतन भोगी	
श्रीमती रत्ना/संजू	दैनिक वेतन भोगी	
श्री टीकाराम/हल्के	दैनिक वेतन भोगी	
श्री सुरेन्द्र/गनेश	दैनिक वेतन भोगी	
श्री बसंत/नन्हेंलाल	दैनिक वेतन भोगी	
शंकर/धनीराम	दैनिक वेतन भोगी	
दीपक/रामदयाल	दैनिक वेतन भोगी	
राजेश/रामआसरे	दैनिक वेतन भोगी	
संजय/बादल	दैनिक वेतन भोगी	

मीना/झांउलाल	दैनिक वेतन भोगी	
मनोज/हरिकिशन	दैनिक वेतन भोगी	
ब्रजेश/रमेश	दैनिक वेतन भोगी	
शुभम/बिहारी	दैनिक वेतन भोगी	
बबीता/गनेश	दैनिक वेतन भोगी	
राहुल/मनोज	दैनिक वेतन भोगी	
प्रेमनारायण/अन्नीलाल	दैनिक वेतन भोगी	
रेखा/धीरज उर्फ अश्विनी गोहर	दैनिक वेतन भोगी	
अनीता बाई/गयाप्रसाद	दैनिक वेतन भोगी	
विनोद/गुलजारी	दैनिक वेतन भोगी	
सरिता/अनिल	दैनिक वेतन भोगी	
उर्मिला/प्रेमलाल	दैनिक वेतन भोगी	
विकास/रमेश	दैनिक वेतन भोगी	
संजय/मुन्नालाल	दैनिक वेतन भोगी	
डालचंद/कुंदन	दैनिक वेतन भोगी	
जमना बाई/गनेश	दैनिक वेतन भोगी	
धर्मेन्द्र/हरिदास	दैनिक वेतन भोगी	
राजाराम/सोबरनसींग	दैनिक वेतन भोगी	
सुनीता/संतोष	दैनिक वेतन भोगी	
शांति बाई/तारांचद	दैनिक वेतन भोगी	
रोहित/अनिल	दैनिक वेतन भोगी	
चन्द्रभान/दथरथ	दैनिक वेतन भोगी	9754696949
अनीता/मिट्ठू	दैनिक वेतन भोगी	
मोनू बाई/फूलसींग	दैनिक वेतन भोगी	
विमला बाई/लक्ष्मन	दैनिक वेतन भोगी	
रेखा बाई/संजय	दैनिक वेतन भोगी	
जानकी बाई/बसंत	दैनिक वेतन भोगी	
शारदा बाई/परसोत्तम	दैनिक वेतन भोगी	
सविता बाई/खेमचंद	दैनिक वेतन भोगी	
मीना बाई/द्वारका	दैनिक वेतन भोगी	
आकाश/अशोक	दैनिक वेतन भोगी	8103696585
चंदन/परषोत्तम	दैनिक वेतन भोगी	
योगेब्द्र मेहतर/कोमल	दैनिक वेतन भोगी	
अनीता/किशन	दैनिक वेतन भोगी	
पूजा/महेन्द्र	दैनिक वेतन भोगी	

रेनू मेहतर/दिनेश	दैनिक वेतन भोगी	
शीलू/बालाप्रसाद	दैनिक वेतन भोगी	
अनीता/बबलू मेहतर	दैनिक वेतन भोगी	
उमेश बाल्मीक/मुन्नालाल	दैनिक वेतन भोगी	
संतोष मेहतर/धनीराम	दैनिक वेतन भोगी	6264756492
सुषमा बाल्मीक/नीरज	दैनिक वेतन भोगी	
दीपक मेहतर/मुन्नालाल	दैनिक वेतन भोगी	9669078728
महेश मट्टू/अनिल मट्टू	दैनिक वेतन भोगी	9584903499
परमलाल वंशकार/रामप्रसाद	दैनिक वेतन भोगी	977063743
प्रेमलाल/सुखलाल	दैनिक वेतन भोगी	
शिवम/वीरन	दैनिक वेतन भोगी	
रोहन/अनिल	दैनिक वेतन भोगी	9685774321
राजेश/मोहन	दैनिक वेतन भोगी	9516381156
महेन्द्र/गनेश	दैनिक वेतन भोगी	
भूपेन्द्र/दयाराम	दैनिक वेतन भोगी	6265062846
सोनू/मिट्ठू	दैनिक वेतन भोगी	
दीपचंद/दशरथ	दैनिक वेतन भोगी	7879885153
चंद्रभान/दशरथ	दैनिक वेतन भोगी	
द्रोपती कल्याण	दैनिक वेतन भोगी	
श्री रमेश रावत	जनसेवक	7725898904
श्री रविशंकर पाठक	दैनिक वेतन भोगी	7879993064
श्री पंचम सिंह पटैल	दैनिक वेतन भोगी	9754629414
राहुल वर्मा	दैनिक वेतन भोगी	9977229564
श्री हरिओम/श्रीवास	दैनिक वेतन भोगी	
अनुराग उपाध्याय	दैनिक वेतन भोगी	9827818197
हरिओम राय	दैनिक वेतन भोगी	8319797334
संजय चांदोरिया	दैनिक वेतन भोगी	9826551908
कमलकांत सिलावट	दैनिक वेतन भोगी	7694082324
अरविंद कुमार असैया	दैनिक वेतन भोगी	
गुलाब चंद विसैले	दैनिक वेतन भोगी	9826473540
नवीन कटारिया	दैनिक वेतन भोगी	9644732826
कौशल सोनी	दैनिक वेतन भोगी	9399161060
धनीराम पटैल	दैनिक वेतन भोगी	9424302689
अनिल अग्रवाल	दैनिक वेतन भोगी	9301372700
अर्पित पटेल	दैनिक वेतन भोगी	9179859913

लक्ष्मण पटैल	दैनिक वेतन भोगी	
सूरज लोधी	दैनिक वेतन भोगी	8305117574
मयूर दुबे	दैनिक वेतन भोगी	7415745580
दिलीप पिपरोलिया	दैनिक वेतन भोगी	9630870546
श्री जहीद खां	जनसेवक	7724947665
राजू गौंड़/श्री धर्मसिंह	दैनिक वेतन भोगी	
मुकेश मेहरा जेसीबी	दैनिक वेतन भोगी	
बालकिशन रजक/हाकम सिंह रजक	दैनिक वेतन भोगी	

अध्याय – 10

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका –

पत्रक मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्रापत किया गया है तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति /मुआवजे प्रतिकर की पद्धति –

अ0 क0	नाम पदाधिकारी / कर्मचारी	पद	मासिक उपलब्धि वेतन + मंहगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				ग्रह / व भत्ता	मेडीकल भत्ता	योग	
	2	3	4	5	6	7	8
	श्री सत्येन्द्र सिंह शालवार	मुख्य नगर पालिका अधिकारी					
	श्री सुनील भनारे	सहायक ग्रेड 03	31188	678	0	678	15500—49000
	सुश्री मिनी विश्वकर्मा	उपयंत्री					
	श्री कमलेश पटैल	सहायक राजस्व निरीक्षक	45816	996	0	996	19500—62000
	श्री धर्मेन्द्र झारिया	स्हा0ग्रेड 03					
	श्रीमती रितु जैन	अध्यापक	74658	0	0	0	25300—80500
	श्रीमती विनीता पटेल	अध्यापक	39572	0	7800	7800	4500—25000—1650
	श्रीमती संचिता जैन	अध्यापक	39572	0	7800	7800	4500—25000—1650
	श्री छोटेलाल साहू	भृत्य	28842	627	0	627	15500—49000
	श्री कविता श्रीवास	भृत्य	42504	924	0	924	16100—50900
	अनुपमा तिवारी	भृत्य	31464	684	0	684	15500—49000
	कविता श्रीवास	भृत्य	30498	663	0	663	15500—49000
	श्री सूरज	स्वच्छता पर्यवेक्षक	44436	966	0	966	16100—50900
	श्री रामनाथ	स्वच्छता पर्यवेक्षक	43194	939	0	939	15500—49000
	श्री गनेश	सफाई कर्मचारी	43746	951	13	964	16100—50900
	श्री गयाप्रसाद	सफाई कर्मचारी	42228	918	0	918	15500—49000

	श्रीमती मुन्नी बाई	सफाई कर्मचारी	42228	918	0	918	15500—49000
	श्री कन्हैयालाल	सफाई कर्मचारी	32430	705	0	705	15500—49000
	श्री रविकुमार	सफाई कर्मचारी	32430	705	0	705	15500—49000
	श्री धमेन्द्र मेहतर	चौकीदार	17112	372	0	372	15500—49000
	श्री रमेश रावत	जनसेवक	30498	663	0	663	15500—49000
	श्री लक्ष्मण सिंह	जनसेवक	30498	663	0	663	15500—49000
	श्री लक्ष्मी कहार	जनसेवक	30498	663	0	663	15500—49000
	श्री बबलू मेहतर	जनसेवक	29670	645	0	645	15500—49000
	श्री जहीद खां	जनसेवक	28842	627	0	627	15500—49000
	श्री किशन मट्टू	जनसेवक	28842	627	0	627	15500—49000
	श्री तारांचद मेहतर	जनसेवक	28842	627	0	627	15500—49000
	श्री नजीम खान	जनसेवक	28842	627	0	627	15500—49000
	श्री रंजीत कुमार जैन/श्री संतोष जैन	स्थायी कर्मी	19695	0	0	0	5000—100—8000
	श्रीविनीतकुमारत्रिपाठी/श्री रामदास त्रिपाठी	स्थायी कर्मी	19695	0	0	0	5000—100—8000
	श्री संतोष/ श्री होरीलाल	स्थायी कर्मी	18180	0	0	0	4000—80—7000
	श्री धीरज उर्फ अशविनी गोहर/ श्री विशाल	स्थायी कर्मी	17695	0	0	0	4000—80—7000
	श्रीमती ममता/ श्री सूरज	स्थायी कर्मी	17453	0	0	0	4000—80—7000
	श्रीमती निर्मला/ श्री बिहारी	स्थायी कर्मी	17210	0	0	0	4000—80—7000
	श्री विजय/ श्री होरीलाल	स्थायी कर्मी	17210	0	0	0	4000—80—7000
	श्री सेवक/ श्री श्यामलाल	स्थायी कर्मी	17210	0	0	0	4000—80—7000
	श्री ब्रिजेश/ श्री नब्बू	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000

	श्री नेतराम / श्री गोविंद	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री हल्के / श्री गोलीराम	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्रीमती प्रभा / श्री रामनाथ	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री विनोद / श्री कालूराम	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री प्यारेलाल / श्री गोलीराम	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री लक्ष्मी / श्री मानक	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री फूलसिंह / श्री सुखलाल	स्थायी कर्मी	16968	0	0	0	4000—80—7000
	श्री विनोद / श्री नब्बू	स्थायी कर्मी	16726	0	0	0	4000—80—7000
	श्री प्रकाश / श्री रम्मू	स्थायी कर्मी	16726	0	0	0	4000—80—7000
	श्री मनोज / श्री भगवानदास	स्थायी कर्मी	16726	0	0	0	4000—80—7000
	श्री सतेन्द्र / श्री हुकम	स्थायी कर्मी	16726	0	0	0	4000—80—7000
	श्री संजू उर्फ धमेन्द्र / श्री दयाराम	स्थायी कर्मी	16726	0	0	0	4000—80—7000
	श्री उमाशंकर / श्री विष्णु	स्थायी कर्मी	16483	0	0	0	4000—80—7000
	श्री रमेश / श्री डोरीलाल	स्थायी कर्मी	16483	0	0	0	4000—80—7000
	श्री बालाप्रसाद / श्री लीलाधर	स्थायी कर्मी	16483	0	0	0	4000—80—7000
	श्री पवन / श्री मिट्ठू	स्थायी कर्मी	16241	0	0	0	4000—80—7000
	श्रीमती इन्द्रा / श्री धनराज	स्थायी कर्मी	16241	0	0	0	4000—80—7000

	श्री दिनेश / श्री गुरूदयाल	स्थायी कर्मी	16241	0	0	0	4000—80—7000
	श्री अनिल / श्री होरीलाल	स्थायी कर्मी	16241	0	0	0	4000—80—7000
	श्री उमेश / श्री गेंदालाल	स्थायी कर्मी	16241	0	0	0	4000—80—7000
	श्री मिथुन / श्री मिट्ठू	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री अमित / श्री गुलजारी	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री अरविंद / श्री हरि	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री करण / श्री प्रभूदयाल	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री मनीष / श्री गिन्दू	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री परसोत्तम / श्री शिवचरण	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री सुरेन्द्र / श्री लोकराम	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री ओंकार / श्री हक्कू	स्थायी कर्मी	15756	0	0	0	4000—80—7000
	श्री कुंदन / श्री वंशीलाल	स्थायी कर्मी	15756	0	0	0	4000—80—7000
	श्री जितेन्द्र / श्री धनराज	स्थायी कर्मी	15756	0	0	0	4000—80—7000
	श्री खेमचंद / श्री घनश्याम	स्थायी कर्मी	18180	0	0	0	4000—80—7000
	श्री फारूख खान / श्री रसीद खान	स्थायी कर्मी	17938	0	0	0	4000—80—7000
	श्री मुकेश सेन / श्री राजकुमार सेन	स्थायी कर्मी	17695	0	0	0	4000—80—7000
	श्री हीरा ठाकुर / श्री जगदीश ठाकुर	स्थायी कर्मी	17695	0	0	0	4000—80—7000

	श्री मनीश सेन / श्री गनेश सेन	स्थायी कर्मी	17695	0	0	0	4000—80—7000
	श्री मोहन / श्री सीताराम	स्थायी कर्मी	17453	0	0	0	4000—80—7000
	श्री गोपाल सेन / श्री परषोत्तम सेन	स्थायी कर्मी	17453	0	0	0	4000—80—7000
	श्री जितेन्द्र मेहरा / श्री सोबरन मेहरा	स्थायी कर्मी	17453	0	0	0	4000—80—7000
	श्री इकबाल खान / श्री लतीफ खान	स्थायी कर्मी	17453	0	0	0	4000—80—7000
	श्री दिनेश राजपूत / श्री सरदार सिंह	स्थायी कर्मी	17210	0	0	0	4000—80—7000
	श्री रामप्रसाद मेहरा / श्री हाकम	स्थायी कर्मी	17210	0	0	0	4000—80—7000
	श्री चन्द्रभान ठाकुर / श्री रम्मू ठाकुर	स्थायी कर्मी	16483	0	0	0	4000—80—7000
	श्री संतोश श्रीवास्तव / श्री जमनाप्रसाद	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री बेनीसिंह राजपूत / श्री हल्के सिंह	स्थायी कर्मी	15998	0	0	0	4000—80—7000
	श्री परषोत्तम साहू	पम्प अटेंडेंट					
	श्री गोविंद पाठक	भृत्य					

अध्याय – 11

प्रत्येक एजेंसी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय-व्यय)

क

आय / वय्यय

नगर पालिका परिषद गोटेगांव, जिला – नरसिंहपरु (म.प्र.)

नगर पंचायत निधि का संक्षिप्त विवरण

प्राप्तियॉ का विवरण (देखें लेखा नियम 71 के नियम 11 परिशिष्ट – क)

क्र.	प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 2026–27	चालू वर्ष के लिए मंजूरी 2025–26	वास्तविक आय 2025–26	वास्तविक आय 2024–25	वास्तविक आय 2023–24
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) नगर पालिका कर	60727700	57837100	47609615	48269828	43498338
2	(ख) विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियॉं	2553000	2431500	3087180	1691394	1976215
3	(ग) नगर पालिका संपत्ति से और करारोपण को छोडकर अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व	9272900	8834600	3685509	4178712	3183433
4	(घ) अनुदान और अंशदान (सामान्य और विशेष प्रयोजनार्थ)	250068000	238477500	74979392	79071866	37225940
5	(ड़) जलकर से प्राप्तियॉं	2991500	2850000	1449720	1734605	1380461
6	(च) बिजली से प्राप्तियॉं	0	0	0	0	0
7	(छ) विविध	2116500	2016000	1702263	1200875	124313
8	(ज) असाधारण व्यय और ऋण	41343500	39375000	12080682	1069403	1563757
	योग–	369073100	351821700	144594361	137216683	88952457

	प्रारंभिक शेष–	14620850	11015900	61118437	64895073	65247012
	महायोग–	383693950	362837600	205712798	202111756	154199469

(श्री सुनील भनारे)
मुख्य लिपिक/लेखापाल
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

(श्री सत्येन्द्र शालवार)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

नगर पालिका परिषद गोटेगांव, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)

नगर पंचायत निधि का संक्षिप्त विवरण

व्ययों का विवरण (देखें लेखा नियम 71 के नियम 11 परिशिष्ट – क)

क.	प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 2026–27	चालू वर्ष के लिए मंजूरी 2025–26	वास्तविक व्यय 2025–26	वास्तविक व्यय 2024–25	वास्तविक व्यय 2023–24
1	2	3	4	5	6	7
1	(क) सामान्य प्रशासन और संग्रह प्रभार 1– वेतन तथा भत्ता, 2– आकस्मिकताएँ, 3– अन्य	33729200	32935250	14728555	24297165	21234563
2	(ख) सार्वजनिक सुरक्षा 1– वेतन तथा भत्ता, 2– आकस्मिकताएँ, 3– अन्य	28364500	25845000	6774471	20590129	10122574

3	(ग) जन स्वास्थ्य एवं सुविधाएं 1— वेतन तथा भत्ता, 2— आकस्मिकताएँ, 3— अन्य	97592000	91214000	52345739	48639702	34719699
4	(घ) लोक निर्माण 1— वेतन तथा भत्ता, 2— आकस्मिकताएँ, 3— अन्य	88010000	80200000	11012506	13222222	7033491
5	(ड) सार्वजनिक शिक्षा 1— वेतन तथा भत्ता, 2— आकस्मिकताएँ, 3— अन्य	6220000	5995000	3010405	3891728	3339686
6	(च) अंशदान—	0	0	0	0	0
7	(छ) विविध—	13816500	13015000	4797778	3387475	3841634
8	(ज) असाधारण व्यय और ऋण एवं अनुदान अंशदान —	98896000	99012500	42467897	26964898	9012749
	व्यय का योग—	366628200	348216750	135137351	140993319	89304396
	अन्तिम शेष बचत—	17065750	14620850	70575447	61118437	64895073
	महायोग—	383693950	362837600	205712798	202111756	154199469

(श्री सुनील भनारे)
मुख्य लिपिक / लेखापाल
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

(श्री सत्येन्द्र शालवार)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

नगर पालिका परिषद गोटेगांव, जिला — नरसिंहपरु (म.प्र.)
आय व्यय पत्रक — 2026—27

क.	प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 2026—27	चालू वर्ष के लिए मंजूरी 2025—26	वास्तविक आय 2025—26	वास्तविक आय 2024—25	वास्तविक आय 2023—24
1	2	3	4	5	6	7

1	(क) नगर पालिका कर					
	(क) नगर पालिका दर और कर					
	1– गृह और भूमि पर कर					
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण					
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण					
	2– वाहनों और पशुओं पर कर					
	ग– पशुओं पर					
	घ– वाहनों पर अस्थाई दखल	168000	160000	56240	54550	52160
	3– पथकर –	0				
	4– वृत तथा व्यवसाय पर कर – हैसियत कर	0				
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	0				
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण	0				
	5– चुंगी– क्षतिपूर्ति अनुदान/एरियर्स	44415000	42300000	36296176	37131968	36808795
	6– संपत्ति कर	0				
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	3675000	3500000	3002267	2678941	1459468
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण	1680000	1600000	2126812	2058513	1206230
	उपकर	1155000	1100000	1587652	1708098	945400
	शिक्षा उपकर	1155000	1100000	1586638	1706350	943780
	7– समेकित कर (बकाया)	1680000	1600000	247890	286660	173310
	8– समेकित कर (चालू)	892500	850000	136620	136803	88200
	9– सार्वजनिक संडास कर–	0				
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	121000	115500			
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण	0				
	10– सफाई कर–	0				
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	22000	21000			
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण पाखाना	0				
	11– प्रकाश कर–	0				

	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	2200	2100			
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण	0				
	12– जल निकास कर	0				
	क–गत वर्ष के बकायाओं का संग्रहण	0				
	ख– विद्यमान वर्ष का संग्रहण	0				
	13– निर्यात कर/यात्रीकर/ समेकित	2520000	2400000	2301000	2289000	1582748
	14– तीर्थ यात्रियों पर कर–	0				
	15– यात्रियों पर कर–	0				
	क– रेल व्दारा	0				
	ख– सडक व्दारा यात्री कर क्षतिपूर्ति	2315000	2205000			
	ग– अन्तर्देशीय जल मार्ग व्दारा आवेदन पंजी	0				
	16– सुधार कर–	0				
	17– नाट्य शाला या प्रदर्शन	22000	21000			
	18– विज्ञापन कर	22000	21000			
	19– अन्य होडिंग अनुमति एवं कर (सविस्तार उल्लेख किया जाये) स्थानीय निकाय कर–	176000	168000			
	1– पशु पंजीयन फीस	105000	100000	18140	16010	17545
	2– बाजार फीस	525000	500000	250180	202935	220702
	3– नये पुलों पर पथकर/ 4– वारन्ट फीस	77000	73500			
	योग क –	60727700	57837100	47609615	48269828	43498338
	ख– विशेष अधिनियमों के अधीन प्राप्तियॉ					
	1– कांजीहाउस से जुर्माना	22000	21000			
	2– भाटक वाहनों से खुराक	11000	10500			
	3– मद्य और औषधियों की बिक्री की अनुज्ञप्तियों से					
	4– अन्य (सविस्तार उल्लेख किया जाए) मुद्रांक शुल्क	2520000	2400000	3087180	1691394	1976215

	योग ख –	2553000	2431500	3087180	1691394	1976215
	ग– नगर पंचायत की सम्पत्ति के करारोपण को छोडकर अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व					
	1– भूमि का किराया–					
	क– शासन व्दारा दिया गया नजूल किराया	275000	262500			
	ख– नजूल भूमि से भिन्न अन्य भूमियों से प्राप्तियॉ– प्लाट किराया जमीन किराया	44000	42000			
	1– घर, भवन, सराय और डाक बंगलों, दुकानों का किराया– दुकान/गोदाम/अन्य किराया	1102500	1050000	656509	569480	596260
	3– भूमि और भूमि की उपज के विक्रय से आय					
	क–नजूल भूमियों के विक्रय से आय					
	ख– अन्य भूमियों के विक्रय से आय					
	ग– वृक्ष, घास और फल फसल का					
	घ– सार्वजनिक उद्धानों से प्राप्तियॉ					
	ड– प्रयोगात्मक खेती से प्राप्तियां					
	च– विविध–					
	4– मलवाहन से प्राप्तियां (करों दरों को छोडकर) सुलभ काम्पलेक्स अनुदान	1653000	1575000	400450	1091000	
	5– शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त फीस और राजस्व–	5500	5250			
	क– उच्चतर माध्यमिक					
	ख– प्राथमिक					
	ग– अन्य					
	6– बाजार और पशु बध गृह से प्राप्त आय और राजस्व	27500	26250			
	क– बाजारों से प्राप्त किराया फीस आदि					

	ख– बधुआ माल गोदामों से प्राप्त राशन कार्ड श्रम कार्ड गुमठी किराया					
	ग– पशुवध फीस किराया					
	7– औषधालयों और चिकित्सालयों से प्राप्त फीस और राजस्व					
	क– राज्य शासन से प्राप्त अंशदान					
	1. वेतन के लिए					
	2. अन्य					
	ख– स्थानीय निकायों से प्राप्त अंशदान					
	ग– जनता से प्राप्त अंशदान– जनभागीदारी / सर्वेक्षण मानदेय आ.आ.	771700	735000			
	घ– विशिष्ट प्रयोजनार्थ अस्थाई जलकष्ट / आपदा प्रबंधन	661500	630000			
	ड– विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्राप्त दान					
	च– औषधियों या औषधियों टिकट विक्रय से आय					
	छ– दान पेटियों से प्राप्तियॉ					
	ज– विविध प्राप्तियॉ साईकिल स्टेण्ड	33000	31500	20180	15652	
	8– अन्य फीस उल्लेख किया जाए– निर्माण कार्य फीस / संबल योजना	525000	500000	590140	582805	17019
	क– मत्स्य संग्रहण लेख– भवन प्लाट नामांतरण एवं अन्य प्राप्तियां / टावर किराया	330500	315000	355750	325637	
	ख– भवन निर्माण फीस / स्टीमेट नक्शा	771000	735000	160840	221271	250040
	ग– आटा चक्की के लिए अनुज्ञप्ति फीस	7700	7350			
	घ– चूना ईंट भट्टा स्थापित किये जाने के लिए अनुज्ञप्ति मिट्टी तेल					

	ड– खाद्य और पेय विक्रय पदार्थों के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति फीस					
	च– साहूकारी लायसेंस फीस	44000	42000			
	छ– फेरी के लिए अनुज्ञप्ति फीस दाल मिल					
	ज– दलाल कमीशन एजेन्ट नपाई करने वाले और तुलाई करने वालों से अनुज्ञप्ति फीस – रिक्शा, हाथ ठेला, आटो रिक्शा, लायसेंस/राशन कार्ड	11000	10500			
	झ– कपडे धोने और स्नान करने के लिए अलग किये गये स्थानों से प्राप्तियॉ					
	ट– प्रतिलिपि फीस – आवेदन फीस	11000	10500			
	9– अस्थाई तौर से प्राप्त किराया – आरा मशीन					
	क– खुली भूमि का					
	ख– भवन का– दुकान किराया/प्रीमियम	2520000	2400000	1501640	1372867	2320114
	10– पट्टों का प्रीमियम	11000	10500			
	11– भवनों की विक्रय राशि–भू–भाटक	11000	10500			
	12– नगरपालिका संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रतिकार/दुकान पंजीयन (गुमास्ता)					
	13– नगर पालिका और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत हुए दण्ड की राशि के स्थान पर शासकीय अनुदान/कम्पोजीशन–	16000	15750			
	14– विनिधानों पर ब्याज–					
	क– सामान्य					
	ख– शैक्षणिक	220500	210000			
	ग– विशेष प्रयोजनार्थ					
	घ– भविष्य निधि					

	15– पुराना भंडार और इमारती सामान्य के विक्रय आगम	220500	210000			
	16– विष्ठा से बनाये गये कम्पोस्ट खाद आदि से विक्रय आगम					
	योग ग –	9272900	8834600	3685509	4178712	3183433
	घ. 1 – अनुदान और अंशदान					
	1– शासन से – विशेष निधि,/ SDRF	31500000	30000000			4284000
	कायाकल्प 1, 2	15000000	15000000	1879300	13072000	
	क– सामान्य प्रयोजन के लिए–कार्यालय भवन निर्माण/आवास	11000000	11000000			
	ख– विशिष्ट प्रयोजन के लिए–शहरी विकास, नाला पर चौपाटी/	11000000	10600500	3000000	3220000	
	ग– शैक्षणिक प्रयोजन के लिए–स्कूलों की वाउन्ड्री/भवन पोषण मु.मं.कन्यादान/मध्यान्ह भोजन किचिनशेट/लाडली बहना योजना	1312500	1250000			
	घ– सडक मरम्मत अनुरक्षण	5250000	5000000	4308000	4725848	4302825
	ड– दुकान निर्माण एवं बस स्टेंड	4490000	4277000			
	2– सांसद निधि–शहरी विकास हेतु	2756000	2625000			
	क– विधायक निधि –––''–––	2756000	2625000			
	ख– सामान्य प्रयोजन के लिए–पर्यावरण सुधार/हरिजन विशेष	6562500	6250000			
	ग– 15 वॉ वित्त आयोग	28000000	25000000	32161000	23442000	9520035
	घ– राज्य वित्त आयोग	13650000	13000000	24240842	11948000	12649000
	3– अन्य स्त्रोतों से– मूलभूत सुविधा	18750000	17850000	6328000	5920000	6327680
	क– सामान्य प्रयोजन के लिए –अयोध्याबस्ती सेवाकेन्द्र/व्य. शौचा.नि.	5500000	5250000			
	ख– अन्य/मल टेंकर/मो0टायलेट	2205000	2100000	62250	52350	142400
	ग– सामुदायिक भवन/टाउनहाल	2205000	2100000			
	घ– स्टेडियम निर्माण					

	ठोस अपशिष्ट, जेसीबी/आटो क्रय अन्य वाहन/स्वच्छ भारत मिशन	12500000	12500000			
	घ. 2 – अनुदान और अंशदान					
	1 – मुख्यमंत्री जलप्रदाय योजना					
	2 – प्रधानमंत्री आवास योजना फेस – 1, 2					
	3 – मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेस 2,3	42000000	40000000	3000000	11000000	
	4 – मुक्तिधाम निर्माण/सौंदर्यीकरण	5500000	5250000			
	5 – शापिंग काम्पलेक्स	3850000	3675000			
	6 – नया बाजार षापिंग काम्पलेक्स	2205000	2100000			
	7 – नया बाजार सब्जीमंडी निर्माण, फर्शीकरण	2205000	2100000			
	8 – 5 नग स्वागत द्वार एवं चौराहा सौंदर्यीकरण	2205000	2100000			
	9 – आडीटोरियम निर्माण	4410000	4200000			
	10 – बगतला सोंदर्यीकरण	2756000	2625000		2799410	
	11– अमृत योजना	10500000	10000000		2892258	
	योग घ –	250068000	238477500	74979392	79071866	37225940
	ड– जल कर से प्राप्तियॉ–					
	1– जल कर बकाया–	787500	750000	759070	937095	648775
	जलकर (चालू)	1653000	1575000	549560	660250	537842
	2 – जल विक्रय – टेंकर किराया	110000	105000	35650	31630	44390
	3– जलकर अधिभार/अधिभार	110000	105000	82690	84130	96504
	4– विधानों पर ब्याज					
	5– अन्य नलकनेक्शन/रोड कटिंग	220500	210000	15150	14200	36850
	6– नल कनेक्शन अमानत	110500	105000	7600	7300	16100
	योग ड –	2991500	2850000	1449720	1734605	1380461
	च– बिजली से प्राप्तियॉ					
	1– शक्ति विक्रय–					
	क– मीटर के व्दारा					
	ख– बिना मीटर					
	2– मीटरों का किराया					

	3– उत्पादन शुल्क					
	4– अन्य					
	योग च –	0	0	0	0	0
	छ– विविध–					
	1– प्रायवेट व्यक्तियों को दी गई सेवाओं के कारण वसूलियॉ/अन्य आय	1102500	1050000	1090013	598065	27573
	2– अन्य/जनगणना/विकेन्द्रीकरण /चुनाव	551000	525000			
	क– सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेला	22000	21000			
	ख– मुद्रणालय से प्राप्तियॉ / रसीद बुक विक्रय/टेन्डर फार्म	441000	420000	612250	602810	96740
	ग– चमडा और सींगों की बिक्री					
	घ– अन्य जनकल्याणकारी योजना (सा0सु0/रा0वृ0पें0/रा0प0सहा0 एवं अन्य)					
	1– वेयज बिक्री राशन कार्ड					
	2– अन्य					
	योग छ –	2116500	2016000	1702263	1200875	124313
	ज– असाधारण और ऋण					
	1– शासकीय प्रभूतियों के विक्रय अग्रिम आदि बैंक से प्रत्याहरण ब्याज	1155000	1100000	228672	398530	1069506
	2– उधार					
	क– राज्य शासन से उधार, हुडको से मु.मं.शहरी पेयजल हेतु ऋण					
	ख– अधोसंरचना फेस 2,3 एवं 4 ऋण–केनरा बैंक, बैंकऑफइंडिया	31500000	30000000	11800010		408251
	3– उधार के भुगतान हेतु ऋण निवारण/संचित निधि से प्राप्तियॉ	4410000	4200000			
	4– अग्रिम					
	क– स्थाई					
	ख– अन्य	1102500	1050000			
	5– निक्षेप/अमानत राशि	551000	525000	52000	48000	86000

	6– संजीवनी क्लीनिक शासन से प्राप्त	2625000	2500000		622873	
	योग ज –	41343500	39375000	12080682	1069403	1563757
	कुल प्राप्तियों का योग–	369073100	351821700	144594361	137216683	88952457
	प्रारंभिक शेष–	14620850	7738500	61118437	64895073	99399800
	महायोग–	383693950	359560200	205712798	202111756	188352257

(श्री सुनील भनारे)
मुख्य लिपिक/लेखापाल
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

(श्री सत्येन्द्र शालवार)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

नगर पालिका परिषद गोटेगांव, जिला – नरसिंहपुर (म.प्र.)
आय व्यय पत्रक – 2026–27

क्र.	प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 2026–27	चालू वर्ष के लिए मंजूरी 2025–26	वास्तविक व्यय 2025–26	वास्तविक व्यय 2024–25	वास्तविक व्यय 2023–24
1	2	3	4	5	6	7
1	क– सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार					

स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।

	1– सामान्य प्रशा.कार्यालय की स्थापना आदि– पदाधिकारियों का मानदेय भत्ता	787500	787500	753600	753600	750460
	क– कार्यालय स्थापना और पदाधिकारी का वेतन/सामान्य प्रशासन	10500000	10500000	3202150	3114439	3238532
	ख– भत्ता	105000	105000			16690
	ग– आकस्मिकता वाहन क्रय/जीप वाहन एम्बेस्डर इत्यादि/वाहन किराया	935000	850000	348638	537860	202750
	घ– स्थाई स्थापना– डाकटिकिट	5700	5250			
	स्टेशनरी/कम्प्यूटर/फर्नीचर	3465000	3150000	140512	1577867	850024
	ड– सामान्य प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि पर शासन को देय भू–राजस्व	288500	262500			
	2– राजस्व को संग्रहण–					
	क–1– राजस्व विभाग के कार्यालय की स्थापना तथा पदाधिकारी वेतन स्थाई	2100000	2100000	970680	964582	1183258
	अस्थाई स्थापना/युवा स्वरोजगार	2000000	2000000	1805830	1758983	1572730
	3– आकस्मिकता, कर्मचारी ऋण	1732500	1575000	1812060	3896354	3373139
	ख– चुंगी और सीमा पर कर					
	1– पदाधिकारियों तथा स्थापना का वेतन					
	2– भत्ता					
	3– आकस्मिकता (नाका मरम्मत सहित)					
	4– अस्थाई स्थापना					
	ग– गृह कर					
	1– स्थापना					
	2– भत्ता					
	3– आकस्मिकता					
	घ– अन्य कर तथा फीस					
	1– स्थापना (स्थाई, अस्थाई)					
	2– भत्ता					

	3— आकस्मिकता					
	ड— मार्गों एवं नौका घाटों पर पथकर का संग्रहण, प्रतिकर					
	1— स्थापना					
	2— आकस्मिकता					
	3— भूमापन / डायवर्सन					
	1— स्थापना का वेतन					
	2— भत्ता					
	3— आकस्मिकता और अन्य प्रभार					
	4— वापसियॉ—					
	1— आक्ट्राय की वापसियॉ वृत्ति / आयकर / जीएसटी	2310000	2100000	2209704	1756191	620127
	2— अन्य वापसियॉ / उपकर इत्यादि					
	5— पेन्शन तथा उपादान / ईपीएफ कटौती	9500000	9500000	3485381	9937289	9426853
	योग क —	33729200	32935250	14728555	24297165	21234563
	ख— सार्वजनिक सुरक्षा					
	1— अग्नि— फायर विग्रेड / फायर फाइटर	462000	420000			
	1— स्थापना : स्थाई और अस्थाई	577500	525000			
	2— भत्ता टेंकर क्रय	231000	210000			
	3— आकस्मिकता और अन्य प्रभार (अग्नि शामक एन्जिन, बाल्टी का क्रय और मरम्मत आदि)	924000	840000	359724	306216	92700
	2— प्रकाश—					
	1— स्थापना स्थायी	650000	650000			
	2— विद्युतसामग्री का क्रय (लेम्प, तेल, बल्व,उपकरण, मरम्मत आदि)	2310000	2100000	1144546	5748003	462945
	3— विद्युत प्रवाह का खर्च (बिल)	20900000	19000000	3912552	12535426	9504529
	4— नये कार्य	1155000	1050000	822718	1163818	
	3— वन्य प्राणी, सर्प और भटकते कुत्तों का विनाश					

	4— विविध / अन्य / मुनादी	1155000	1050000	534931	836666	62400
	योग ख —	28364500	25845000	6774471	20590129	10122574
	ग— जन स्वास्थ्य एवं सुविधांए—					
	1— जल प्रदाय—					
	क— स्थापना और संधारण— वेतन					
	1— स्थापना— अस्थाई / स्थायी	7500000	7500000	7324805	7323907	7254285
	2— आकस्मिकता	115500	105000			
	3— मरम्मत और संधारण	2887500	2625000	95720	387055	576861
	ख— नये कार्यों का व्यय—पूंजी व्यय ट्यूबबेल / हेण्डपंप / खनन / प्लाट कय	3465000	3150000	0		8260
	ग— कुंओं, जलाशयों का निर्माण तथा मरम्मत— हेन्डपंप सहित पाईप लाईन विस्तारीकरण एवं सामग्री कय	1848000	1680000	971168	1030253	272596
	घ— जल प्रदाय गृह के प्रयोजन के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए राज्य शासन को देय भू राजस्व	231000	210000			
	ड— अवक्षयण निधि / टेंकर मरम्मत	115000	105000	0	92000	
	च— ऋण और प्रतिदान— जनरेटर कय	577000	525000			
	1— मूलधन का प्रतिदान	346000	315000			
	2— ब्याज	577000	525000			
	3— ऋण निवारण निधि का भुगतान हुडको एवं पेयजल / अधो. फेस — 2,3	11000000	10000000	1472628	3933947	
	2— जल निस्तारण—					
	क— स्थापना और संधारण—					
	1— स्थापना					
	2— आकस्मिकता	46000	42000			
	3— मरम्मत और संधारण					
	4— अन्य प्रभार	46000	42000			
	5— मल वाहन की व्यवस्था कय व सुधार	577000	525000			

	ख– नवीन कार्य– पूंजीगत व्यय	577000	525000			
	ग– ट्रेक्टर ट्राली टेंकर मरम्मत/ वाहन सुधार	2310000	2100000	306031	965550	442751
	घ– ऋण का प्रतिदान					
	1– मूलधन का प्रतिदान					
	2– ब्याज					
	3– माल वाहन और सण्डास (सडक, सिंचाई और सफाई सहित)					
	क– स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना आकस्मिकता					
	ख– 1– सार्वजनिक सण्डासों के लिए स्थायी स्थापना					
	2– सार्वजनिक सण्डासों के लिए मरम्मत संधारण–एवं निर्माण	1155000	1050000			
	3– सार्वजनिक सण्डासों की मरम्मत– सुलभ काम्प्लेक्स 3 नग निर्माण	1732500	1575000			9660
	4– सार्वजनिक सण्डासों पर विविध प्रभार	231000	210000			
	5– सार्वजनिक सण्डासों का निर्माण					
	ग– निजी सण्डास					
	1– निजी सण्डासों की स्थापना– पेशाब घर निर्माण/मरम्मत/पुताई	1155000	1050000	167463	264411	
	2– व्यक्तिगत ट्विनपिट शौचालय निर्माण	1732500	1575000			
	3– वापिसी उपकर का परिहर आदि	550000	500000			
	घ– सडक सफाई/स्चछता शाखा					
	1– स्थापना स्थायी	11500000	11500000	10618285	10617231	10556072
	2– अस्थाई स्थापना	8400000	8400000	8102520	8101152	7716898
	3– अन्य उपकरण	1650000	1500000	670542	491403	

	4— कचरा घरों की मरम्मत/ विशेष सफाई/ओडीएफ/स्वच्छता सर्वेक्षण	4840000	4400000	8439524	4485111	4098803
	5— विविध— फिनाइल, कीटनाशक, दवाइयॉ	2530000	2300000	2361434	3712115	341250
	ड— सडक सिंचाई—झाडू टोकनी पंजी उपकरण/	550000	500000	323704	420885	234519
	1— डीजल	4950000	4500000	5729970	3997155	1542363
	2— कचरा गाडी क्रय एवं सुधार/जेसीबी सुधार/सफाई उपकरण इत्यादि	1100000	1000000	301082	238111	147300
	3— औषधालय और चिकित्सालय					
	क— स्थापना					
	ख— औषधियॉ और उपकरण					
	ग— विविध प्रभार, रोगियों के आहार सहित					
	5— संक्रामक प्रभार एवं आवारा मृत पशु	275000	250000			44700
	6— टीका—/प्याऊ	346500	315000	224710	122440	104717
	क— स्थापना					
	ख— आकस्मिकता					
	7— बाजार चबूतरा निर्माण साप्ताहिक मंगलवारा/मछली मटन मार्केट अन्य निर्माण	577500	525000			
	क— स्थापना					
	ख— आकस्मिकता — दुकान निर्माण	2310000	2100000			
	ग— भवनों का निर्माण— बस स्टेंड निर्माण	2887500	2625000			
	घ— भवनों की मरम्मत	1155000	1050000	1085045	163647	
	8— कांजी हौस — भवन निर्माण					
	क— स्थापना					
	ख— आकस्मिकता प्रभार	115500	105000			
	ग— कांजी हौस का निर्माण और उसकी मरम्मत	346500	315000			

	घ– बैल बाजार में पशुओं हेतु शेड निर्माण एवं फर्शीकरण	2310000	2100000			
	9– डाक बंगला, सराय, होटल, धर्मशाला और विश्राम गृह– यात्री शेड सामुदायिक भवन	1732500	1575000	156868	1794585	
	क– स्थापना					
	ख– आकस्मिकता					
	ग– निर्माण और मरम्मत					
	घ– स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण, वृक्षारोपण	3300000	3000000	3002111		
	10– वृक्षवर्धन, सार्वजनिक उद्यान, वाटिका, खेल मैदान/शहरी वन	3465000	3150000			
	क– बैल बाजार में वृक्षों पर चबूतरा निर्माण	577500	525000			
	ख– अन्य प्रभार–स्वास्थ्य शिविर /अलाव	462000	420000	264020	98100	193475
	ग– अंशदान					
	11– तैरन के जलाशय, स्नानागार और सार्वजनिक कपडा धोने का स्थान, गणेश दुर्गा विसर्जन	605000	550000	307490	80714	293123
	12– सामाजिक कल्याणकारी कार्य निर्वा0– समाचार पत्र/विज्ञापन /निविदा	2255000	2050000	420619	319930	882066
	13– पशु चिकित्सा प्रभार–					
	क– स्थापना					
	ख– अन्य प्रभार	231000	210000			
	14– जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, प्रिंटिंग	346500	315000			
	योग ग –	97592000	91214000	52345739	48639702	34719699
	घ– लोक निर्माण–					
	क– स्थापना	2100000	2100000	1336230	1335266	
	ख– भवन– कार्यालय भवन	11000000	10000000			976101

	भवन अन्य निर्माण / सभा कक्ष / मरम्मत	5500000	5000000	89396	18100	155029
	1— कर्मचारियों के आवास निर्माण	5775000	5250000			
	2— मरम्मत	577500	525000			
	ग— रास्ते, सडकें, नालियॉ डिवाईडर	33000000	30000000	5096467	5570973	2756087
	1— नये रास्तों, सडकों और नालियों का निर्माण नाला पुल पुलिया	11550000	10500000	210820	580299	1689693
	2— मरम्मत और नवीनीकरण डब्ल्युबीएम मुरमडस्ट	5775000	5250000	1328421	1454192	1343335
	घ— रिपटा पुल शापिंग काम्पलेक्स मरम्मत पुताई	577500	525000			
	ड—मशीनरीकरण / विघुत पोल विस्तार वेक्युमटेंकर आटो शव वाहन अन्य वाहन	11000000	10000000	2785956	2691000	
	च— भन्डार और अन्य विविध व्यय	1155000	1050000	165216	1572392	113246
	योग घ —	88010000	80200000	11012506	13222222	7033491
	ड.— सार्वजनिक शिक्षा					
	1— प्राथमिक शालायें					
	क— स्थापना बालमंदिर स्थापना	735000	735000			
	ख— उपकरण और आकस्मिकता	57000	52500			
	ग— निर्माण और मरम्मत / वाउन्ड्रीबाल निर्माण / किचिनशेड / अतिरिक्तकक्ष	1100000	1000000			
	घ— भवनों का किराया					
	2— बाल सदन, शिशु मंदिर आदि नगर पालिका इंदिरा शाला स्थापना	3000000	3000000	2927205	2926095	2897876
	क— स्थापना					
	ख— जनगणना चुनाव इत्यादि	577500	525000	83200	965633	441810

	ग– निर्माण और मरम्मत वाचनालय	693000	630000			
	घ– भवनों का किराया					
	3– पुस्तकालय, वाचनालय, म्युजियम आदि दैनिक समाचार पत्र डे–केयर सेंटर पत्रिकांए/जनसंर्पक विशेष निधि	57500	52500			
	क– स्थापना					
	ख– आकस्मिकता					
	ग– अंशदान					
	4– अंशदान और अनुदान एवं अन्य					
	क– शासकीय शालाओं, कालेजों और होस्टल आदि के लिए अंशदान					
	ख– शाला शिक्षकों के सेवा निवृत वेतन के लिए अंशदान					
	योग ड. –	6220000	5995000	3010405	3891728	3339686
	च– अंशदान (सामान्य प्रयोजन के लिए)					
	योग च –	0	0	0	0	0
	छ– विविध					
	1– उधार का प्रतिदान (जल प्रदाय के लिए गये उधारों को छोडकर)					
	क– मूलधन का प्रतिदान	808500	735000			
	ख– ब्याज	115500	105000			
	2– बट्टा (बर्दी) चतुर्थ श्रेणी एवं अन्य वाहन कर्मचारी	440000	400000	0	268188	95327
	3– वाहन बीमा	165000	150000			
	4– सार्वजनिक प्रदर्शिनी, मेले स्वागत समारोह/राष्ट्रीय पर्व, वृद्धजन समारोह	3300000	3000000	1293621	1155746	844676
	5– कानूनी प्रभार	0	0			

	6– भविष्य निधि में अंशदान, पेंशन उपादान अनुकंपा भत्ता अर्जित अवकाश एरियर राशि	5000000	5000000	2964211	957456	1687635
	7– टेलीफोन ट्रंक काल	110000	100000	58186	59241	52449
	8– लेखा परीक्षा फीस, सी ए फीस	3300000	3000000	481760	946844	1161547
	9– अन्य–प्रसूति अनुग्रह पितृत्व विवाह सहायता	577500	525000			
	राश्ट्रीय परिवार सहायता					
	योग छ –	13816500	13015000	4797778	3387475	3841634
	ज– असाधारण तथा ऋण					
	1– विनिधान					
	क– प्रतिभूतियों में (ऋण निवारण निधि को छोडकर)					
	ख– सावधि निक्षेप					
	ग– बचत बैंक संचित निधि	3465000	3150000			
	2– ऋण निवारण निधि का भुगतान					
	क– स्थायी	577500	525000			
	ख– अन्य	288500	262500			
	ग– निक्षेप/अमानत राशि	577500	525000			
	जो पूर्व से अनुमानित न हो एवं जलकष्ट बाढ़ कोराना संक्रमण अपात व्यय/आपदा प्रबंधन	2200000	2000000	399497	1133641	1439981
	अन्य अनुदान और अंशदान व्यय					
	1 – मुख्यमंत्री जलप्रदाय योजना मरम्मत एवं संधारण	11550000	10500000	7932576	2806773	6002571
	2 – प्रधानमंत्री आवास योजना					
	3 – मुख्यमंत्री अधोसंरचना/फेस 2, 3, 4 सीसी रोड व नाली बस स्टेंड निर्माण अन्य	25000000	25000000	21976096	12569844	1094097
	कायाकल्प निर्माण कार्य 1,2	16500000	15000000	4376676	5445528	
	4 – मुक्तिधाम निर्माण एवं सौंदर्यीकरण	2750000	2500000	515530	146583	85140

	5 – अहमना नाला शापिंग काम्पलेक्स	1155000	1050000			
	6 – नया बाजार शापिंग काम्पलेक्स	2887500	2625000			
	7 – नया बाजार सब्जी मंडी	2310000	2100000	889333		
	8 – 5 नग स्वागत द्वार एवं फुहारा चौक निर्माण एवं ग्लो साईन बोर्ड	2887500	2625000		128148	390960
	9 – आडीटोरियम निर्माण	2887500	2625000	3186603		
	10 – बगतला सोंदर्यीकरण	2510000	4100000			
	11– SDRF	4300000	8925000	3191586	1842123	
	12– अमृत योजना	11000000	10000000		2892258	
	13–अहमना नाला नगरीय क्षेत्र में रिटर्निंग वॉल निर्माण निर्माण, अन्य अधोसंरचना	1100000	1000000		788267	
	14– मॉडल रोड़ सौंदर्यीकरण	1100000	1000000			
	15–ओबी रोड़ स्थित बड़ा पुल पर शापिंग कॉपलेक्स निर्माण	1100000	1000000			
	16–संजीवनी क्लीनिक	2750000	2500000		622873	
	योग ज –	98896000	99012500	42467897	26964898	9012749
	व्यय का योग–	366628200	348216750	135137351	140993319	89304396
	अंतिम शेष /बचत –	17065750	11343450	70575447	61118437	99047861
	महायोग–	383693950	359560200	205712798	202111756	188352257

(श्री सुनील भनारे)
मुख्य लिपिक/लेखापाल
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

(श्री सत्येन्द्र शालवार)
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 12

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अ. क्रं.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2022–23	प्राप्त आबंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम दर्ज हो	संचालनालय, नगरीय कल्याण विकास विभाग भोपाल	—	—	—	—
2.	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार	——''——	——''——	—	—	—	—
3.	सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास	——''——	——''——	—	—	—	—
4.	शहरी गरीबों के लिये सामुदायिक आश्रय योजना	——''——	——''——	—	—	—	—

अध्याय – 13

प्राधिकर्ता द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं की सूची –

अ. क्रं.	सहायता का स्वरूप	प्राप्तकर्त्ता हितग्राहियों की संख्या	सहायता राशि
1	2	3	4
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन		
	समाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंषन	99	600/— प्रतिमाह

	परित्याक्ता पेंषन	49	600/— प्रतिमाह
	सा0सु. निषक्त पेंषन	287	600/— प्रतिमाह
	दिव्यांग षिक्षा प्रोत्साहन	43	600/— प्रतिमाह
	मु.मं. अविवाहिता पेंषन	02	600/— प्रतिमाह
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	1352	1) 60—64 वर्ष आयु के हितग्राही— 600/— प्रतिमाह 2) 65—79 वर्ष आयु के हितग्राही— 600/— प्रतिमाह 3) 80 वर्ष या अधिक आयु के हितग्राही— 600/— प्रतिमाह
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	417	600/— प्रतिमाह
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	50	600/— प्रतिमाह
5	मंदबुद्धि/बहुविकलांग पेंशन	44	600/— प्रतिमाह
6	कन्या अभिभावक पेंशन	42	600/— प्रतिमाह
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता	01	20,000/— प्रति पात्र हितग्राही
8	मुख्यमंत्री कल्याणी पेंषन	434	600/— प्रति माह

नोट – इस शीर्ष में नगरपालिका परिषद द्वारा किसी दुर्घटना आग – बाढ आदि से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सहायता , संख्या को दिये गये अनुदान , सामाजिक सुरक्षा पेंशन / इंदिरा गांधी वृद्धावस्था / विधवा / परित्यक्ता /नि:शक्त पेंशन आदि की जानकारी दी जाना है ।

अध्याय – 14

नगरपालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

क्र	वर्ग	हार्डकापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
निरंक			

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 15

नागरिकों को सूचना प्राप्त करनें के लिये प्रारंभ सुविधाएं

क्र	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	दूरभाष क्रमांक
1	नोटिस बोर्ड	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	प्रात: 10:00 से सायंकाल 6:00 तक	282048
2	विज्ञापन	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	प्रात: 10:00 से सायंकाल 6:00 तक	282048

1.. सूचना केन्द्र
2.. सूचना काउंटर
3.. अन्य माध्यम – जैसे विज्ञापन / पम्पलेट / मुनादी / नोटिस बोर्ड

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – 16

लोक सूचना अधिकारी का नाम , पदनाम

क्र	नाम	पदनाम	दूरभाष	ईमेल	कार्यालय पता	मिलने का समय
	श्री सत्येन्द्र	सीएमओ	9425466358	cmogotegaon @mpurban.gov.in	गोटेगांव	10:00 बजे से 6:00

	शालवार					**बजे**

सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम , पदनाम

क्र	**नाम**	**पदनाम**	**दूरभाष**	**ईमेल**	**कार्यालय पता**	**मिलने का समय**
	कमलेश पटैल	**सहा0राज0 निरीक्षक**	8839476419	cmogotegaon @mpurban.gov.in	**गोटेगांव**	10:00 **बजे से** 6:00 **बजे**

प्रथम अपीली अधिकारी का नाम , पदनाम

क्र	**नाम**	**पदनाम**	**दूरभाष**	**ईमेल**	**कार्यालय पता**	**मिलने का समय**
1.	श्री परमेष जलोटे	संयुक्त संचालक	2426531	ddjabalpur@mpurban.gov.in	नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर (म0प्र0)	प्रातः 10:00 से 06:00

नोट – लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोकसूचना अधिकारी दोनों की जानकारी दी जावे ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – सत्रह

अन्य सूचनाऐं

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी नागरिक नगरपालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा । आवेदन पत्र का फार्म सूचना

अधिकारी से निःशुल्क/सःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी । आवेदक को अभिलेखों, की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा ।

अधिनियम 2005 की धारा – 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना /अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी ।

2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकास योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है ।

3. नगर पालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किये जाते है, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेगें ।

4. नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जा रहा है व अन्य ऐसे इलैक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें ।

5. नगरपालिका नें नागरिकों के कार्यो हेतु सिटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है । नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें । जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय–सीमा में निराकृत हो सकें ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद गोटेगांव

अध्याय – अठारह

<u>निविदाएं -: विभाग की निविदाएं</u> <u>https://mptenders.gov.in</u> **पर हैं।**

सार्वजनिक निजि साझेदारी

अध्याय– उन्नीस

सार्वजनिक निजि साझेदारी

शासकीय सेवाएं प्रदान करने हेतु एमपी ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है।

अध्याय बीस

स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेष

<u>स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश -: विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/स्थापना द्वारा</u>

<u>स्थानांतरण किए जाते हैं।</u>

अध्याय—इक्कीस

आरटी आई आवेदन प्राप्त एवं निराकरण

क्र0	विभाग का नाम नगरीय प्रशासन एवंविकास	दिनांक 31/12/2025 को लंबित अपीलों की संख्या	दिनांक 01/01/2025 से 31/12/2025 अपीलों की संख्या	योग
1	2	4	5	6
1	नगरपालिका परिषद गोटेगांव	—	**निरंक**	**निरंक**

अध्याय–बाईस

<u>सीएजी और पीएसी पैरा</u> - विभाग की जानकारी निरंक है।

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2010—श्रावण 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०३-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक १७ अगस्त २०१० को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.
४. निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.
५. निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.
६. अपील.
७. शास्ति.
८. पुनरीक्षण.
९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
१०. नियम बनाने की शक्ति.
११. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २४ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१०.

[दिनांक १७ अगस्त, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अगस्त, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "पदाभिहित अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन सेवा प्रदान करने के लिये इस रूप में अधिसूचित कोई अधिकारी;

(ख) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा के लिये पात्र है;

(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(घ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित;

(ङ) "सेवा का अधिकार" से अभिप्रेत है, निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा ४ के अधीन सेवा प्राप्त करने का अधिकार;

(च) "सेवा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा;

(छ) "द्वितीय अपील प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी जो धारा ३ के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(झ) "निश्चित की गई समय सीमा" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन यथा अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने का अधिकतम समय.

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना.

३. राज्य सरकार, समय-समय पर, उन सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा.

निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार.

४. पदाभिहित अधिकारी धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को, निश्चित समय सीमा के भीतर ऐसी सेवा प्रदान कराएगा.

निश्चित की गई समय सीमा में सेवा प्रदान कराना.

५. (१) निश्चित की गई समय सीमा, अधिसूचित सेवा प्रदान करने के लिए यथा अपेक्षित आवेदन, पदाभिहित अधिकारी या उसके द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, प्रस्तुत करने की तारीख से प्रारंभ होगी. ऐसे आवेदन की सम्यकरूप से अभिस्वीकृति दी जाएगी.

(२) पदाभिहित अधिकारी उपधारा (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा में या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण अभिलिखित करते हुए आवेदक को सूचित करेगा.

अपील.

६. (१) कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा ५ की उपधारा (२) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर होने की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से तीस दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु प्रथम अपील अधिकारी तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था.

(२) प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा.

(३) प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध, द्वितीय अपील प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से ६० दिन के भीतर द्वितीय अपील की जा सकेगी :

परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी, ६० दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रविरत रहा था.

(४) (क) द्वितीय अपील प्राधिकारी पदाभिहित अधिकारी को ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसी कि वह विनिर्दिष्ट करे या अपील को रद्द कर सकेगा.

(ख) द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कराने के आदेश के साथ धारा ७ के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा.

(५) (क) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ५ की उपधारा (१) का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि प्रथम अपील का होता है.

(ख) यदि पदाभिहित अधिकारी द्वारा धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. इस आवेदन का विनिश्चय उसी प्रकार होगा जैसा कि द्वितीय अपील का होता है.

९. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। **सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.**

१०.(१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी. **नियम बनाने की शक्ति.**

(२) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे.

११. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले आदेश द्वारा कठिनाई दूर कर सकेगी : **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.**

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक १८ अगस्त २०१०

क्र. ४३०४-३०९-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, २०१० (क्रमांक २४ सन् २०१०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 24 of 2010.
THE MADHYA PRADESH LOK SEWAON KE PRADAN KI
GUARANTEE ADHINIYAM, 2010

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Notification of services, designated officers, first appeal officers, second appellate authority and stipulated time limits.
4. Right to obtain service within stipulated time limit.
5. Providing services in stipulated time limit.
6. Appeal.
7. Penalty.
8. Revision.
9. Protection of action taken in good faith.
10. Powers to make rules.
11. Power to remove difficulties.

अध्याय– तेईस

सेवा प्रदाय एक्ट

सेवाओं के प्रदाय की गांरटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नगरीय निकाय के - सेवाएं अधिसूचित हैं, जो निम्नानुसार हैं

अध्याय–चौबीस

डिस्क्रेशनरी और नॉन-डिस्क्रेशनरी अनुदान (विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान) -:

विभाग की जानकारी निरंक है।

अध्याय - पच्चीस

सीएम/मंत्रियों/अधिकारियों के विदेशी दौरे -: वर्ष 2022 के दौरान विभागीय जानकारी निरंक है।